

	न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कैमूर, भभुआ। <u>SC/St. Reg. No. 184/2018</u>
दिनांक.14.12.2021	अभियुक्त 1. इंजिनियर यादव 2. विशुनी यादव 3. आनन्द यादव की ओर से न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अधिकार पत्र के साथ जमानत का आवेदन दाखिल किया गया। जमानत आवेदन प्रचालित किया गया। बचाव पक्ष का कहना है कि अभियुक्तगण निर्दोष है तथा इसने कोई अपराध नहीं किया है। इस न्यायालय के अलावा अन्य किसी वरीय न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। उनका यह भी कहना है कि अभियुक्तों का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है तथा 41(A) द0प्र0स0 का धारा लाभ प्राप्त है। वाद में SC/ST Act को छोड़कर सभी धारारें जमानतीय प्रकृति का है। इसलिए उचित बंधपत्र कर जमानत दिया जाय। अभियोजन द्वारा जमानत का विरोध किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। बचाव पक्ष का कथन तथा अभिलेख अवलोकन के पश्चात् अभियुक्तों को मो0 10000x 2 के बंधपत्र तथा इसी राशि के समान दो प्रतिभू देने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि अभियुक्तगण प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेंगे अन्यथा उनका बंधपत्र स्वतः खंडित समझा जाएगा। लेखापित Sd/- न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, कैमूर, भभुआ।